

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी
कुलसचिव कार्यालय

पत्रांक: UOU/R3/CAS/2019/1008

दिनांक: 23/11/2019

संशोधित कार्यालय ज्ञाप

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पब्लिक नोटिस संख्या F.No.2-16/2002(PS)Pt.FI.II, दिनांक 16.10.2018 द्वारा शैक्षिक संस्थाओं में, नियुक्त शिक्षकों को कैरियर अभिवर्धन योजना के अन्तर्गत प्रोन्नति का लाभ अनुमन्य किये जाने में एकरूपता/समानता के दृष्टिगत अभिविन्यास कार्यक्रम तथा पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में प्रतिभाग किये जाने की तिथि 31.12.2018 तक सुनिश्चित किये जाने के निर्देश प्राप्त हैं।


उक्त के क्रम में विश्वविद्यालय कार्य परिषद की 25वीं बैठक दिनांक 02.09.2019 में पारित संशोधन प्रस्ताव में संबंधित सहायक प्राध्यापकों को उनकी प्रोन्नति की नियत तिथि से कैरियर अभिवर्धन योजना (Career Advancement Scheme) का लाभ दिये जाने पर परिषद द्वारा अनुमोदन दिया गया है।

कैरियर अभिवर्धन योजना के संदर्भ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नोटिस संख्या F.No.2-16/2002(PS)Pt.FI.II, दिनांक 16.10.2018 एवं विश्वविद्यालय कार्य परिषद की 25वीं बैठक दिनांक 02.09.2019 में दिये गये अनुमोदन के फलस्वरूप निम्नांकित सहायक प्राध्यापकों को उनके नाम के सम्मुख अंकित संशोधित प्रोन्नति तिथि से ग्रेड-वेतन रू० 6000/- के स्थान पर ग्रेड-वेतन रू० 7000/-का लाभ अनुमन्य किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है-

क्र० सं०	नाम	नियुक्ति तिथि	प्रोन्नति की तिथि जिससे ग्रेड-वेतन रू० 7000/- अनुमन्य हुआ है। (कार्यालय ज्ञाप दिनांक 09.03.2018 द्वारा स्वीकृत)	प्रोन्नति की संशोधित तिथि
1.	डॉ० मदन मोहन जोशी	10.08.2011	31.07.2016	10.08.2015
2.	डॉ० हरीश चन्द्र जोशी	10.08.2011	31.07.2016	10.08.2015
3.	डॉ० देवेश कुमार मिश्र	10.08.2011	01.01.2017	10.08.2015
4.	डॉ० सूर्यभान सिंह	10.08.2011	24.11.2016	10.08.2015
5.	डॉ० वीरेन्द्र कुमार	10.08.2011	29.09.2016	10.08.2015
6.	डॉ० गगन सिंह	10.08.2011	26.08.2015	10.08.2015
7.	डॉ० शशांक शुक्ल	10.08.2011	31.07.2016	10.08.2015
8.	डॉ० मंजरी अग्रवाल	10.08.2011	22.12.2015	10.08.2015
9.	डॉ० दीपक पालीवाल	10.08.2011	31.07.2016	10.08.2015
10.	डॉ० सुचित्रा अवस्थी	15.09.2011	09.03.2018	15.09.2015
11.	डॉ० भानू प्रकाश जोशी	30.04.2012	03.12.2016	30.04.2016
12.	डॉ० प्रवीण कुमार तिवारी	08.08.2012	09.03.2018	08.08.2016


कैरियर अभिवर्धन योजना का लाभ अनुमन्य किये जाने हेतु पूर्व में निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या UOU/R3/CAS/2018/675, दिनांक 09.03.2018 में उल्लिखित सहायक प्राध्यापक, जिन्हें प्रोन्नति का लाभ उनकी 04 वर्ष की सेवा पूर्ण होने की तिथि से अनुमन्य किया गया है, वे इससे आछादित नहीं होंगे।

कार्यालय ज्ञाप संख्या UOU/R3/CAS/2018/675, दिनांक 09.03.2018 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।


23/11/19
कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ:-

1. संबंधित सहायक प्राध्यापकों को।
2. कुलपति जी के निजी सचिव को, मा० कुलपति जी के सूचनार्थ।
3. निदेशक, संबंधित विद्याशाखा।
4. वित्त-नियंत्रक।
5. वैयक्तिक पत्रावली।


23/11/19
कुलसचिव